

न्यायालय सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-21/2013

-22/2013✓

1- रामकरण सराफ पुत्र किलुख सराफ जाति महाजन अग्रवाल---आदि

--प्रार्थीगणा/अपीलान्टस्--

---बनाम---

1- मूर्ति मन्दिर धोली तली फोहपुर जरिये व्यवस्थापक गोपीकिशन पुत्र झाबरमल जाति महाजन सराफ---आदि

--अप्रार्थीगणा/रेस्पोंडेन्टस्

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-151 सीपीसी

रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 व 3 के नाम हजफ

किये जाने बाबत ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सांवरमल एडवोकेट- प्रार्थी/अपीलान्ट

2-श्री मदनलाल शर्मा एडवोकेट- अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.5.2018

संक्षेप में प्रार्थीगणा/अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 मोहनलाल व रेस्पोंडेन्ट संख्या-3 लक्ष्मीकान्त अपील में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था किन्तु दौराने अपील रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 व 3 का देहान्त हो गया । जिसकी जानकारी तामिल पर आई सूचना से जानकारी हुई । रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 व 3 के वारिसान का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इस कारण इनके वारिसान को पक्षकार बनाया

सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

जाना आवश्यक नहीं है । अतः रैस्पोंडेंट संख्या-2 मोहन पुत्र टोडरमल एवं रैस्पोंडेंट संख्या-3 लक्ष्मीकान्त पुत्र रामनिवास का अपील से नाम हजफ किया जावे ।

विद्वान वकीलअप्रार्थी/रैस्पोंडेंट ने जबाब पेशा करते हुये कथन किया कि अपीलान्त/प्रार्थी ने रैस्पोंडेंट संख्या-2 व 3 को अपील में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है । रैस्पोंडेंट संख्या-2 मोहनलाल की मृत्यु अपील पेशा करने से पूर्व ही हो चुकी थी । रैस्पोंडेंट संख्या-3 जी लक्ष्मीकान्त उर्फ भूशिया पुत्र रामनिवास की मृत्यु नहीं हुई है यह जीवित है उसको अपीलान्त मृत बताकर अपील से उसका नाम हजफ कराना चाहता है तथा दूसरी तरफ इनके वारिसान को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने का निवेदन किया । रैस्पोंडेंट संख्या-2 व 3 वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जो अपील में भी आवश्यक पक्षकार है । जिनका नाम हजफ कराने का अपीलान्त को कोई अधिकार नहीं है । रैस्पोंडेंट संख्या-2 मोहन की मृत्यु दिनांक 25-10-2012 को हुई है । जबकि अपील दिनांक 10-1-2013 को पेशा की गई है । इस प्रकार अपीलान्त ने अपील एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेशा की है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील रैस्पोंडेंट संख्या-2 मोहन के कायम मुकामान के अभाव में अपील पूर्णतः अबैठ हो चुकी है । अतः अपीलान्त की अपील कायम मुकाम के अभाव में अबैठ होने पर खारिज की जावे ।

बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । यह स्वीकृततथ्य है कि रैस्पोंडेंट संख्या-2 मोहन की मृत्यु अपील पेशा होने के पूर्व ही दिनांक 25-10-2012 को हो चुकी थी । रैस्पोंडेंट संख्या-3 जीवित है । अपीलान्त ने इस बाबत रैस्पोंडेंट संख्या-3 का नाम हजफ करने का निवेदन किया है । तथा प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया है कि रैस्पोंडेंट संख्या-2 व 3 का विवादित आराजी में कोई लेना देना नहीं है रैस्पोंडेंट संख्या-2 व 3 अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आवश्यक पक्षकार है । जिनका नाम कानूनन हजफ नहीं किया जा सकता । इनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना ही आवश्यक है । किन्तु रैस्पोंडेंट संख्या-3 जीवित है । इस बाबत अपीलान्त ने रैस्पोंडेंट के जबाब के बाद कोई जबाब पेशा



भूशिया उर्फ भूशिया
पक्षकार

नहीं किया। तथा रेस्पोंडेंट संख्या-3 का नाम क्यूंकर अपील से हजफ करने का निवेदन किया स्पष्ट नहीं किया। रेस्पोंडेंट संख्या-2 अपील से पूर्व ही फौत हो चुका जिसके कानूनी वारिसों को अपीलान्ट ने जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया अपील बिना कानूनी वारिसानों को पक्षकार बनाये अपील पेश की है। इस कारण अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है। अपील में संयुक्त स्व से हित निहित है इस कारण यह सम्पूर्ण अपील अबैट की जाती है।

अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र नाम हजफ किये जाने का खारिज किया जाकर रेस्पोंडेंट संख्या-2 मोहन के कानूनी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट अबैट होने से खारिज की जाती है।

निर्णय तरे इजलास आज दिनांक 31-5-18 को सुनाया गया


31/5/18
भूपेन्द्रसिंह मेहरड़ा

भूपेन्द्रसिंह अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर